उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 86–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 दिनांकः 08 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 27.04.2012 में उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) को ultra vires घोषित किये जाने तथा उ0प्र0 शासनादेश संख्या–4/1/2000 टी.सी.–का–2/2002, दिनाँक 08.05.2012 के अनुक्रम में निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 13.05.2012 के प्रस्तर 6(ख)(अ) में निहित निर्देश के समादर में, **श्री रमेश कुमार (82061) (अनु0जा0)** को धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर आदेश दिनाँक 01.01.2005 (चयन दिनाँक 14.12.2004) द्वारा दी गयी प्रोन्नति को पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के कमानुसार उन्हें अधीक्षण अभियन्ता(वै0 एवं यां0) के पद पर पुनर्व्यवस्थित कर विनियमित किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद हेतु दिनाँक 20.07.2012 को सम्पन्न चयन में लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण के कारण उनका चयन मुहरबन्द लिफाफा में सुरक्षित कर दिया गया। फलस्वरूप श्री रमेश कुमार–82061, अधीक्षण अभियन्ता(वै0 एवं यां0) के पद पर नियमित रूप से चयनित न होने एवं अधिशासी अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की पदधारिता में होने के कारण, मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के चयन दिनांक 05.06.2015 में अर्ह नही पाये गये । अतः श्री रमेश कुमार–82061, को धारा–3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधीक्षण अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर आदेश दिनाँक 01.01.2005 (चयन दिनाँक 14.12.2004) द्वारा दी गयी प्रोन्नति तथा मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के पद पर दिनांक 08.07.2009 (चयन दिनांक 28.07.2006) द्वारा दी गयी प्रोन्नति का नियमतीकरण नहीं किया जा सका ।

अतएव एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार–82061, अधिशासी अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की पदधारिता में रहते हुए मुख्य अभियन्ता, स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के पद से पदावनत किये जाने हेतु पृथक आदेश होने अथवा वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता, स्तर–2(वै0 एवं यां0) के पद पर नियमित रूप से चयनित होकर प्रोन्नत होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (वै0 एवं यां0) के पद पर बने रहेंगें ।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा श्री रमेश कुमार (82061) (अनु0जा0) को स्तम्भ सं0–3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या 04 में उल्लिखित निगम/ स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आवण्टित किया जाता है ।

क0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण पश्चात तैनाती का कार्यालय/आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री रमेश कुमार 82061/मुजफ्फरनगर 31.07.2016	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, केस्को लि0, कानपुर	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

4– आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा ।

5– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 86–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
4– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।
5– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
6– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8– अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव